



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस व खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन करने वाली गाड़ी मालिकों, चालक व रैकी करने वाले 08 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 मोबाइल फोन, 02 डम्पर व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.05.2026 को वादी व0उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर मय हमराह फोर्स व खनन निरीक्षक श्री अभिलाष चौबे द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित फर्द बाबत दिनांक 23.05.2026 की रात्रि में अवैध रूप से चोरी से खनन करने वाले 02 डम्पर व घटना में प्रयुक्त 01 हुन्डई वेन्यू कार व 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार किये थे। उपरोक्त दोनो डम्परो में चोरी कर अवैध रूप से खनिज सामग्री भरी थी। जिनका डम्पर मालिकों पर कोई रोयल्टी या कोई अन्य कागजात नहीं थे। डम्परो पर पीछे नम्बर प्लेट नहीं लगी थी तथा आगे की नम्बर प्लेट अन्दर कर रखी थी। जो दिखाई नहीं दे रही थी। जिनको अभियुक्तगण चोरी से ले जा रहे थे। जिनकी हुन्डई वेन्यू कार आगे – आगे चलकर रैकी कर रहे थे। तथा पुलिस व अन्य अधिकारियों की सूचना दे रहा थे। उक्त गाड़ियों को पुलिस व खनन खान अधिकारियों द्वारा रोककर चैक किया गया था। तथा गाड़ियों को सीज कर थाने लाकर दाखिल किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 161/2025 धारा 303(2)/317(2)/61(2)/112 बीएनएस व 4/21 खनन अधि0 बनाम सुहैल आदि 14 नफर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपद में चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.05.2026 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा 08 शांतिर खनन माफिया 1. सुहेल पुत्र अलीम निवासी ग्राम अम्बोली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 2. नदीम पुत्र नूरहसन नि0 ग्राम बराला थाना कैराना जनपद शामली तथा आज दिनांक 24.05.2026 को अभियुक्तगण 1.रजत पुत्र राजीव कुमार निवासी गन्देवड थाना बेहट जिला सहारनपुर 2.शहजान पुत्र शादीन निवासी लौधीपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर 3.अंशुल पुत्र राजीव निवासी कांशेपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर 4.रजनीश पुत्र शम्भू निवासी कालूवाला कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर 5.अहकाम पुत्र इकराम निवासी ककराला थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर 6.नौशाद पुत्र गुफरान निवासी पाण्डौली थाना नागल जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में घटना में अवैध खनन हेतु रैकी में प्रयोग किये जाने वाले 05 मोबाइल फोन, 02 डम्पर व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त सुहैल ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं और मेरा ग्रुप अवैध रूप से बिना प्रपत्रों के खनन सामग्री की चोरी करके व कुछ क्रेशर से बिना प्रपत्रों से सस्ता माल खरीदकर लाते हैं और इसे बाजार में महंगे दाम में बेचकर लाभ कमाते हैं तथा सरकारी अधिकारियों की रैकी कर उनकी लोकेशन के

हिसाब से रास्ते बदल - बदल कर जुड़ने वालों की अवैध खनन सामग्री से भरी गाड़ियां पास कराते हैं तथा मैं अपनी इसी वैन्यू गाडी से अधिकारियों की रैकी करता हूँ तथा आज भी मैं रैकी कर रहा था की आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सुहेल पुत्र अलीम निवासी ग्राम् अम्बोली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. नदीम पुत्र नूरहसन नि0 ग्राम बराला थाना कैराना जनपद शामली
3. रजत पुत्र राजीव कुमार निवासी गन्देवड थाना बेहट जिला सहारनपुर
4. शहजान पुत्र शादीन निवासी लौधीपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर
5. अंशुल पुत्र राजीव निवासी कांशेपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर
6. रजनीश पुत्र शम्भू निवासी कालूवाला कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
7. अहकाम पुत्र इकराम निवासी ककराला थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
8. नौशाद पुत्र गुफरान निवासी पाण्डौली थाना नागल जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 05 मोबाइल फोन
- 02 डम्पर
- 01 हुन्डई वैन्यू कार (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
2. श्री अभिलाष चौबे खनन निरीक्षक, जनपद सहारनपुर ।
3. व0उ0नि0 अतुल कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
4. उ0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
5. उ0नि0 शिव कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
6. उ0नि0 सुभाषचन्द्र थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
7. है0का0 981 निशान्त चौधरी थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
8. का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
9. का0 398 नरदेव कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
10. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव पुलिस द्वारा मुठभेड में गोकशी के मुकदमें में वांछित 25,000/- रुपये का इनामी गोकश/अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 खोखा/03 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 23.05.2026 की रात्रि को थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा सर्विस रोड पर संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग की जा रही थी तभी ग्राम मौरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखायी दिये। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों को टार्च की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया गया। पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार पीछे मुडकर भागने लगे। हडबडाहट में मोटरसाइकिल अचानक से गिर गई। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान गयूर पुत्र सज्जाद उर्फ सादा निवासी ग्राम सोहनचिडा थाना नागल जिला सहारनपुर के रूप में हुई। घायल/गिरफ्तार बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। घायल/गिरफ्तार बदमाश पर 25,000/- रुपये का इनाम घोषित है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 खोखा/03 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 134/2026 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गयूर पर पूर्व में भी गोकशी, चोरी, गैंगस्टर, हत्या के प्रयास आदि जैसे 10 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार बदमाश थाना बडगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-79/2026 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व मु0अ0सं0 43/2026 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम का वांछित अभियुक्त है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने 03 अन्य साथियो के साथ मिलकर करीब 02 माह पहले जंगल ग्राम दल्हेडी मे गौवंश की हत्या कर गोकशी की थी और अब से करीब 03 माह पहले भी हमने जंगल ग्राम मियानगी मे भी गोकशी की थी तथा शेष बचे अवशेषो को वही फेंक दिया था। हम लोग गोकशी करने से पहले जगह का मुआयना कर लेते है और फिर मौका मिलते ही गोकशी करते है जिनका मांस हम अलग अलग स्थानो पर जाकर बेच देते है जिससे अच्छा खासा मुनाफा होता है तथा अवशेषो को कभी कभी वही पर छोडकर चले जाते है हम लोग जगह बदल बदल कर गौवंश की हत्या कर गोकशी करते है। आज मैं अपने साथी के साथ मोटर साइकिल से गोकशी करने के इरादे से स्थान तलाश करने के लिये बडगांव की तरफ जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गय्यूर पुत्र सज्जाद उर्फ सादा निवासी ग्राम सोहनचिडा थाना नागल जिला सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा .315 बोर
- 03 जिन्दा/01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 73/16 धारा 279/338 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 148/21 धारा 307/323/379/411 भादवि थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 601/15 धारा 379 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0 93/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0 230/18 धारा 380/411 भादवि थाना नागल जनपद सहारनपुर ।
6. मु0अ0सं0 209/23 धारा 379 भादवि थाना नागल जनपद सहारनपुर ।
7. मु0अ0सं0 235/23 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना नागल जनपद सहारनपुर ।
8. मु0अ0सं0 284/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नागल जनपद सहारनपुर ।
9. मु0अ0सं0 79/26 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
10. मु0अ0सं0 43/26 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
11. मु0अ0सं0 134/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थानाध्यक्ष थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री लाखन सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री हितेश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
4. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र राव थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
5. हे0कां0 521 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
6. कां0 2481 उमेश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
7. हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.05.2026

रिजर्व पुलिस लाइन्स सहारनपुर में “आहार की पाठशाला – स्वस्थ पुलिस वाला” कार्यक्रम का आयोजन

अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य जागरूकता हेतु “आहार की पाठशाला – स्वस्थ पुलिस वाला” कार्यक्रम/सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यस्त ड्यूटी शेड्यूल के बीच संतुलित आहार, हाइड्रेशन तथा गर्मी/लू (हीट स्ट्रोक) से बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा।

मुख्य अतिथि/उपस्थित अधिकारीगण

- पुलिस अधीक्षक यातायात, सहारनपुर: श्री शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव
- क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम: श्री रविकांत पाराशर
- प्रतिसार निरीक्षक: श्री वीरेंद्र सिंह बहादुर (स्टाफ सहित)

विशेषज्ञ/आयोजक टीम

- सीनियर कंसल्टेंट डाइटीशियन: सुश्री आयुषी अग्रवाल शर्मा
- प्रबंधक: श्री अंकित शर्मा
- संचालन: अलीशा कपूर एवं सोनिया कपूर

डाइटीशियन द्वारा मुख्य संदेश

सीनियर कंसल्टेंट डाइटीशियन सुश्री आयुषी अग्रवाल शर्मा ने बताया कि पुलिसकर्मियों को अक्सर व्यस्त ड्यूटी के कारण समय पर भोजन नहीं मिल पाता, जिससे कभी चाय-बिस्किट और कभी बाहर का तला-भुना/जंक फूड आदत बन जाता है। दीर्घकाल में यही आदतें उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, मोटापा, एसिडिटी, फैटी लिवर एवं हृदय रोग जैसी समस्याओं का कारण बन सकती हैं।

गर्मी में “हीट स्ट्रोक/लू” से बचाव

गर्मी के मौसम में लंबी अवधि तक धूप में ड्यूटी, कम पानी पीना और शरीर में पानी/लवणों की कमी हीट स्ट्रोक का जोखिम बढ़ाती है।

हीट स्ट्रोक के प्रमुख लक्षण

- तेज सिरदर्द
- चक्कर आना
- कमजोरी/घबराहट
- अत्यधिक पसीना आना या अचानक पसीना बंद हो जाना
- शरीर का तापमान बढ़ना
- उल्टी या बेहोशी जैसा महसूस होना

तत्काल सावधानी/प्राथमिक कदम ऐसी स्थिति को नजरअंदाज न करें। तुरंत छायादार/ठंडी जगह पर जाएँ, पानी या ORS लें तथा आवश्यकता होने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करें।

सेहतमंद दिनचर्या हेतु व्यावहारिक सुझाव

- सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करें
- नाश्ता कभी न छोड़ें
- भोजन में दाल, हरी सब्जियाँ, सलाद, मौसमी फल शामिल करें
- अधिक तला-भुना/मसालेदार/जंक फूड से बचें
- ड्यूटी के दौरान पर्याप्त पानी पिएँ; साथ में **ORS** का पैकेट रखें तथा **काला नमक** उपयोगी रखें
- छाछ, सत्तू, नारियल पानी, नींबू पानी, तरबूज जैसे हेल्दी विकल्प लें
- प्रतिदिन **20–30 मिनट** वॉक/एक्सरसाइज करें
- **05 बादाम** एवं **01 अखरोट** रात को पानी में भिगोकर रखें और सुबह **अच्छी तरह 1 मिनट तक चबाकर** सेवन करें

सहभागिता

कार्यक्रम में **विशेष विनोद कुमार (इंचार्ज)**, **सोनिया**, महिला पुलिसकर्मी सहित पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारजनों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। उपस्थित प्रतिभागियों ने सेमिनार को उपयोगी बताते हुए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ लिया।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा अवैध खनन सामग्री का परिवहन कर रहे 03 डम्पर को किया गया

सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन पर कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लगातार चौकियों की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 24.05.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा गश्त व चौकियों के दौरान अवैध खनन सामग्री का परिवहन कर रहे 03 डम्पर 1.HR 58E 4856 2.HR 58F 9835 3.UP 11CT 7514 को थाना परिसर में खड़ा कराया गया। खनन संबंधी अग्रिम समस्त कार्यवाही हेतु रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 डम्पर HR 58E 4856
- 01 डम्पर HR 58F 9835
- 01 डम्पर UP 11CT 7514

पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 अवशेष भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. हेका0 680 भूपेन्द्र थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. का0 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा अवैध खनन सामग्री का परिवहन कर रहे 03 डम्पर को
किया गया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन पर कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध खनन सामग्री से भरे एवं कागजात न दिखा पाने के कारण 03 ट्रक/डम्पर संख्या 1. HR58E7319 2. HR58E7360 3. UK17CA6525 को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। खनन संबंधी अग्रिम समस्त कार्यवाही हेतु रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 डम्पर HR58E7319
- 01 डम्पर HR58E7360
- 01 डम्पर UK17CA6525

पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्र०नि० सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० संजीव यादव थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
3. हैड का० 138 इस्लाम थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
4. है०का० 912 मोतीलाल थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 01.05.2026 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण सोनू उर्फ इंतजार पुत्र इकबाल 2. अदनान पुत्र इकबाल कुरैसी 3. साहिल पुत्र शाहिद 4. साउन पुत्र शराफत नि० मो० पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर द्वारा वादी को रात में जबरन अपनी गाड़ी में डालकर उठा ले जाना व हथोड़ी डंडे आदि से गंभीर रूप से जान से मारने की नीयत से घायल व लहुलुहान कर फैंक जाने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु०अ०स० 147/26 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/140(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 24.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **शाहून उर्फ शाउन पुत्र शराफत नि० मो० पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर को दिल्ली रोड़ राज नर्सरी के सामने से गिरफ्तार किया गया।** गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहून उर्फ शाउन पुत्र शराफत निवासी मौ० पीपलतला कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
2. हे०का० 570 योगेन्द्र थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
3. रि०का० 1871 चेतन राणा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के
अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2026 वादी की दाखिला तहरीर बाबत अभियुक्त शाहिब पुत्र नूर मौहम्मद निवासी विश्वास कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 – 225/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित **अभियुक्त शाहिब पुत्र नूर मौहम्मद निवासी विश्वासनगर कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर** को शकलापुरी रोड से शकलापुरी गाव की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहिब पुत्र नूर मौहम्मद निवासी विश्वासनगर कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0- 138/26 धारा 137(2) बीएनएस थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 225/26 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री शहरोज आलम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. का0 2278 विष्णु कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. रि0का0 1192 मनीष कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा अपहरण के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22.05.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त करण पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम खजूरी अकबरपुर थाना गांगलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा लडकी द्वारा घर से जेवर व नगदी लेकर जाने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 213/26 धारा137(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना के तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **करण पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम खजूरी अकबरपुर थाना गांगलहेडी सहारनपुर** को ग्राम छापुर गाँव से सरसावा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के बाद धारा 87/65(1) बीएनएस व 34(2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

करण पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम खजूरी अकबरपुर थाना गांगलहेडी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री तोताराम सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. रि0का0 433 अमन कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
3. रि0का0 410 सिद्धार्थ थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
4. रि0का0 चन्द्रकांता थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
5. म0रि0का0 492 अंजली थाना बेहट जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 24.05.2026

-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20.10 ग्राम स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 24.05.26 को चैकिंग के दौरान 02 नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. सरफराज पुत्र मतलूब उर्फ कल्लू निवासी ग्राम रिढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2.रुबी पुत्री मतलूब उर्फ कल्लू निवासी ग्राम रिढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर को भोजेवाला मोड पानसर रोड खडंजा रिढी मोहिद्दीनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सरफराज के कब्जे से 11.10 ग्राम स्मैक व अभियुक्ता रुबी उपरोक्त के कब्जे 09 ग्राम स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 216/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. सरफराज पुत्र मतलूब उर्फ कल्लू निवासी ग्राम रिढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. रुबी पुत्री मतलूब उर्फ कल्लू निवासी ग्राम रिढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

➤ 20.10 ग्राम स्मैक

अभियुक्त सरफराज का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 84/2025 धारा 109, 115(2), 191(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 533/2025 धारा 115(2), 191(1), 191(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 86/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 533/2025 धारा 8,21, 29 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रविन्द्र कसाना थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 मनोरमा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 631 विकास कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 2164 जसवन्त कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 2183 संजू सेम थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. म0का0 491 प्रियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. हे0का0 507 गौरव राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 24.05.2026

-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कडी कार्यवाही

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 215 ग्राम चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदयनारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा दिनांक 24.05.26 को चैकिंग / गस्त के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त अलाउद्दीन पुत्र सलाउद्दीन निवासी रमजानपुरा बेहट रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को सकलापुरी रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर अहमद के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 215 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 देहात पर मु0अ0सं0 227/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अलाउद्दीन पुत्र सलाउद्दीन निवासी रमजानपुरा बेहट रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

➤ 215 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 निष्पी सिंह थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1272 इरफान अली थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 870 रोबिन ढाका थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1272 अंकुर कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

दिनांक: 24.05.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कडी कार्यवाही

**थाना बेहट पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर
अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11.09 ग्राम स्मैक बरामद**

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा”** – **“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.05.26 को चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **अयान पुत्र मतलूब उर्फ कल्लू निवासी ग्राम रिढी मोहिदीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को मानकपुर रजवाहे की पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अयान उपरोक्त के कब्जे से 11.09 ग्राम स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 217/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में **FORWARD AND BACKWARD** लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अयान पुत्र मतलूब उर्फ कल्लू निवासी ग्राम रिढी मोहिदीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 11.09 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रविन्द्र कसाना थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. है0का0 631 विकास कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 1767 पिन्करपाल थाना बेहट जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 23/05/2026 को वादी अमन सैनी पुत्र बलवीर सैनी निवासी मौ० मखदूम जहां कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. फरदीन पुत्र इकराम निवासी मौ० गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 2. जैद पुत्र मसूद निवासी मौ० मुबारक अली कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 3. एक अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी के पुत्र गौरव सैनी की स्कूटी को रोककर वादी के पुत्र के ऊपर हमला करते हुए जान से मारने की नियत से वादी के पुत्र के साथ मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचानोस गाली गलौच करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०सं० 264/26 धारा 126(2)/131/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24/05/26 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में शीघ्र कार्यवाही करते हुए अभियुक्त **फरदीन पुत्र इकराम निवासी मौ० गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर लखनौती रोड पर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फरदीन पुत्र इकराम नि० मौ० गुजरान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री आजाद सिंह थाना गंगोह सहारनपुर।
2. हे०का० 321 राहुल कुमार थाना गंगोह सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से ट्यूबवेल से चोरी किया गया
01 किलो 200 ग्राम ताँबे का तार बरामद

घटना का विवरण: -

वादी श्री विपिन कुमार पुत्र श्री रामनाथ सिंह निवासी ग्राम ढायकी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर के द्वारा दिनांक 18.03.26 को थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 168/2026 धारा 303(2) बीएनएस बाबत अज्ञात चोर के द्वारा वादी व अन्य किसान 1.सचिन कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह 2.आजाद सिंह पुत्र श्री मेघराज सिंह 3.विशाल कुमार पुत्र श्री तरसपाल सिंह समस्त निवासीगण ग्राम ढायकी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की ट्यूबवेलो से तार चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाही: -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त चोरी की घटना का शीघ्र अनवारण करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में गस्त चैकिंग के दौरान अभियुक्त **दानिश पुत्र खालिद निवासी मोहल्ला किला कस्बा अम्बेहटा पीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को आज दिनांक 24.05.26 को अम्बेहटा गगोह रोड से अम्बेहटा ईदगाह रोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त की घटना से सम्बन्धित चोरी के माल में से 01 किलो 200 ग्राम ताँबे का तार बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

दानिश पुत्र खालिद निवासी मोहल्ला किला कस्बा अम्बेहटा पीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 1 किलो 200 ग्राम ताँबे का तार

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 04/23 धारा 63 आब0अधि0 थाना नकुड़,स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
2. है0का0 258 अजित मलिक थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
3. है0का0 892 अजय राठी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
4. का0 1259 विनीत तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
5. रि0आ0 1678 रचित कुमार गाँधी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,



-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

दिनांक: 24.05.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कडी कार्यवाही

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 144 ग्राम चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा”** – **“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.05.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त अफजाल पुत्र मनसब निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को बेहट विकासनगर रोड से पाडली जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त अफजाल उपरोक्त के कब्जे से 144 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 153/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में **FORWARD AND BACKWARD** लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पता:-

अफजाल पुत्र मनसब निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 144 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 मुकेश सोलंकी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 87 पंकज थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 2469 दीपक थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 24.05.2026

-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कडी कार्यवाही

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 229 ग्राम चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.05.2026 को चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त मुनव्वर उर्फ बग्गा पुत्र जाहिद हाल नि० ग्राम नानका थाना फतेहपुर सहारनपुर को के०डी० पब्लिक स्कूल के बराबर में खेतों की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 229 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं० 203/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुनव्वर उर्फ बग्गा पुत्र जाहिद हाल नि० ग्राम नानका थाना फतेहपुर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

229 ग्राम अवैध चरस

अभि० का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 203/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 360/19 धारा 324/323/506 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 147/24 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना फतेहपुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ०नि० श्री सजल कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है०का० 231 रोहित चौधरी थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. का० 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर



-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

दिनांक: 24.05.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कडी कार्यवाही

**थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर
अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 201 ग्राम चरस बरामद**

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.05.2026 को चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **फैजान पुत्र नसीर निवासी ग्राम गंदेवडा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को गंदेवडा के जंगल की ओर कमेशपुर बिजली घर के निकट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 201 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 204/26 धारा 8/ एनडीपीएस एक्ट 20के पंजीकृत किया गया है अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फैजान पुत्र नसीर निवासी ग्राम गंदेवडा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

201 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 757 सन्नी कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. रि0का0 796 अमरजीत सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबंद पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22.05.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत आर्यन आदि वादिया की पुत्री को वहला फुसलाकर ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर वेहोश होना तथा होश आने पर शरीर पर कोई कपडा ना मिलना व जान से मारने की धमकी देने के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 356/2026 धारा 64(1)/123/351(3)/137(2) बीएनएस व 3/4 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा- निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कपिल देव थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23/05/2026 को अभि0 1-आस मौहम्मद पुत्र सरदारा नि0 मौ0 नदीम कालौनी थाना मण्डी जिला सहारनपुर 2- आर्यन पुत्र सतवीर नि0 ग्राम हथछोया थाना झिझाना जिला शामली को साखन कला मोड स0पुर मु0नगर हाईवे से गिरफ्तार किया गया अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. आस मौहम्मद पुत्र सरदारा नि0 मौ0 नदीम कालौनी थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
2. आर्यन पुत्र सतवीर नि0 ग्राम हथछोया थाना झिझाना जिला शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 आदेश कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 रौबिल्स कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 16 पवन सिरोही थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1319 अनुज सिरोही थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 1239 सन्दीप चिकारा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा वारण्टी/ अभियुक्त अय्यूब पुत्र मौ० वहीद नि० तल्हैडी चुंगी थाना जनपद सहारनपुर (सम्बन्धित मु०अ०स० 951/2018 वाद सं०- 39/19 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० -चालानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर मा० न्याया० सहारनपुर) को तल्हैडी चुंगी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अय्यूब पुत्र मौ० वहीद नि० तल्हैडी चुंगी थाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि०संदीप कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. है०का० 272 जुगेन्द्र मलिक थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे
से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.05.2026 को वादी श्री मेघराज सिंह पुत्र रामशरण निवासी नया बास मानकमाऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त अरविन्द पुत्र स्व0 श्रम सिंह निवासी नया बास मानकमाऊ गंगोह रोड मानकमाऊ वादी व वादी के भाई सोनू के साथ मार पीट गाली गलौच और चाकू से वार करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 232/26 धारा – 109(1)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभि0 अरविन्द पुत्र स्व0 श्रम सिंह निवासी नया बास मानकमाऊ गंगोह रोड मानकमाऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को मानकमाऊ नहर की पटरी से कब्रिस्तान रोड से 01 चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया तथा चाकू के बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बगडौतरी की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

अरविन्द पुत्र स्व0 श्रम सिंह निवासी नया बास मानकमाऊ गंगोह रोड मानकमाऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 अवैध चाकू

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 1836/21 धारा 135 भारतीय विद्युत अधि0 थाना एंटी पावर थैफ्ट थाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 कुलवन्त सिंह मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. का0 11913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 2245 अंशु यादव थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 24.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 3100/-

रुपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.05.2026 को वादी श्री मोतीचन्द पुत्र पतरूपाल न्यू नन्दपुरी कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वादी के घर में रखे करीब 17,000/- रुपये चोरी कर लिए के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 224/2026 अन्तर्गत धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना का अनावरण व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त **ललित पुत्र विनोद कुमार जोगी निवासी मानकमऊ बिजलीघर के पास टावर वाली गली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर मानकमऊ भट्टे की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसकी जामा तलाशी से 3100 रुपये नकद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने दो तीन दिन पहले रात्रि के समय नन्दपुरी कालोनी से एक घर में से चुराया था साहब मैंने वहां से यह पालीथीन चोरी की थी इसमें यह डायरी, पासबुक, आधार कार्ड व 17000 रुपये नकद थे जिनमें से मेरे पास यही पैसे बचे हैं शेष पैसे मैंने खाने पीने व अपने शौक मौज में खर्च कर दिये जो पैसे बचे हैं वह आपने मुझसे बरामद कर लिये हैं

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

ललित पुत्र विनोद कुमार जोगी निवासी मानकमऊ टावर वाली गली थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

3100 रुपये

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 375/21 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 322/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर
3. मु0अ0सं0 62/23 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर
4. मु0अ0सं0 162/24 धारा 380/411 भादवि थाना कुतुबशेर
5. मु0अ0सं0 198/24 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना कुतुबशेर
6. मु0अ0सं0 420/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना सदर बाजार

7. मु0अ0सं0 449/25 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना सदर बाजार ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

4. उ0नि0 दीपक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. उ0नि0 शशांक गिरि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. उ0नि0 भुपेश शर्मा मय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
7. है0का0 1046 सतेन्द्र कुमार व थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
8. रि0का0 1368 सुमित कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।